Gyanvividha, Vol.-2; Issue-3 (July-Sept.) 2025 : PP-103-111

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की सहकर्मी-समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-2.25
Vol.-2; Issue-3 (July-Sept.) 2025
Page No.- 103-111
©2025 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

पवन सोनल
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर.

Corresponding Author :

पवन सोनल
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,
जोधपुर.

पाली तहसील (राजस्थान) में पंचायती राज एवं आरक्षण नीति का ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में योगदान

सारांश : पाली तहसील में पंचायती राज एवं आरक्षण नीति ने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया, जिससे ग्राम पंचायतों में उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 73वें संविधान संशोधन के बाद सीटों का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया, जिससे वर्तमान में लगभग आधी पंचायत सीटें महिलाओं के पास हैं। Census 2011 के अनुसार कुल साक्षरता दर 70.13% है, पर ग्रामीण महिला साक्षरता मात्र 42.52% है, जो प्रभावी नेतृत्व के लिए बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष–महिला साक्षरता अंतर 30.56 प्रतिशत अंक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 21.84 प्रतिशत अंक है। सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ, शिक्षा व प्रशिक्षण की कमी, और आर्थिक निर्भरता के कारण "प्रॉक्सी नेतृत्व" की प्रवृत्ति देखी जाती है। हालांकि, स्व-सहायता समूह, सरकारी योजनाएँ और डिजिटल साधनों के प्रयोग ने सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया है। शिक्षा, प्रशिक्षण और आर्थिक स्वावलंबन पर जोर देकर इस प्रतिनिधित्व को गुणात्मक सशक्तिकरण में बदला जा सकता है।
बीज शब्द : पाली तहसील, पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, आरक्षण नीति, महिला साक्षरता, ग्रामीण–शहरी अंतर, प्रॉक्सी नेतृत्व, स्व-सहायता समूह, क्षमता निर्माण, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ।

प्रस्तावना (Introduction) : भारत में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का प्रश्न स्वतंत्रता के पश्चात से ही नीतिगत विमर्श का केंद्र रहा है। 1992 में पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने देश के लोकतांत्रिक ढाँचे में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इस संशोधन का मुख्य

उद्देश्य केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना नहीं था, बल्कि उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण को भी गति देना था।

राजस्थान, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राज्य है, पंचायती राज व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोगों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी पारंपरिक सामाजिक ढाँचे और सांस्कृतिक मान्यताओं में बँधा हुआ है। ऐसे में महिलाओं के लिए निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कदम है। पाली ज़िला और विशेष रूप से पाली तहसील, इस परिवर्तनकारी प्रक्रिया का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

पाली तहसील का सामाजिक-जनसांख्यिकीय परिदृश्य : जनगणना 2011 के अनुसार, पाली तहसील की कुल जनसंख्या 3,68,386 है, जिसमें 1,89,551 पुरुष और 1,78,835 महिलाएँ शामिल हैं। यहाँ लिंगानुपात **943** है, जो राष्ट्रीय औसत (940) से थोड़ा अधिक है, किंतु राज्य के औसत के समान है। इस लिंगानुपात से स्पष्ट होता है कि यहाँ महिलाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से संतुलित है, किंतु सामाजिक और आर्थिक भागीदारी के सूचकांक पर स्थिति अभी भी कमजोर है।

पाली तहसील में ग्रामीण बनाम शहरी आबादी का वितरण भी उल्लेखनीय है—लगभग **37.5%** जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और शेष 62.5% शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। यह आँकड़ा पाली को अन्य कई तहसीलों से अलग बनाता है, क्योंकि यहाँ शहरीकरण का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है। इसके बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संरचना, पारंपरिक जातिगत व्यवस्थाएँ और लिंग आधारित भूमिकाएँ आज भी गहरे पैठी हुई हैं।

सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा महिला साक्षरता का है। पाली तहसील की कुल साक्षरता दर **70.13%** है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 70.7% और महिला साक्षरता दर केवल **49.4%** है। इसका अर्थ यह है कि लगभग आधी महिलाएँ अभी भी अशिक्षित हैं। अशिक्षा न केवल महिलाओं की व्यक्तिगत उन्नति में बाधक है, बल्कि उन्हें पंचायत स्तर पर प्रभावी नेतृत्व करने से भी रोकती है।

पाली तहसील का सामाजिक-शैक्षिक मूड

पाली तहसील राजस्थान के सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य में एक विशेष स्थान रखती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, लघु उद्योग (विशेषकर वस्त्र एवं हथकरघा), और खनन पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं पशुपालन महिलाओं की आजीविका का प्रमुख साधन हैं, किंतु निर्णय लेने के स्तर पर उनकी भूमिका अक्सर सीमित रहती है।

सामाजिक संरचना परंपरागत जातिगत और पितृसत्तात्मक मूल्यों से प्रभावित है। परिवार एवं समुदाय के भीतर महिलाओं को प्रायः घरेलू कार्यों और परंपरागत जिम्मेदारियों तक सीमित रखा जाता है। विवाह की औसत आयु, शिक्षा के प्रति जागरुकता, और रोजगार के अवसर, ये सभी कारक महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, और महिला स्व-सहायता समूहों के प्रयासों ने कुछ सकारात्मक बदलाव लाए हैं, किंतु ये अभी प्रारंभिक चरण में हैं।

पंचायती राज व्यवस्था और महिलाओं का आरक्षण

73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को तीन-स्तरीय ढाँचे (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) के रूप में स्थापित किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान लागू किया, जिसे बाद में कई

राज्यों की तरह 50% तक बढ़ाया गया। इस आरक्षण का उद्देश्य केवल महिलाओं को निर्वाचित पदों पर पहुँचाना नहीं था, बल्कि उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण, प्रशासनिक अनुभव और नेतृत्व कौशल प्रदान करना भी था।

पाली तहसील में आरक्षण लागू होने के बाद से महिला प्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले जहाँ पंचायत बैठकों में महिलाएँ शायद ही कभी भाग लेती थीं, अब वे मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। फिर भी, यह भी सच है कि कई मामलों में "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" देखने को मिलता है, जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की ओर से उनके पुरुष परिजन निर्णय लेते हैं।

महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की क्षमता : पाली तहसील का सामाजिक-शैक्षिक माहौल धीरे-धीरे बदल रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए कई अवसर मौजूद हैं—

शैक्षिक अवसरों का विस्तार : सरकारी व निजी विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही है, साथ ही बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं से नामांकन दर में सुधार आ रहा है।

स्व-सहायता समूहों की सक्रियता : ग्रामीण महिलाओं को सूक्ष्म ऋण, स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण मिल रहा है।

सरकारी योजनाओं का प्रभाव : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।

सामाजिक जागरूकता अभियानों : पंचायत स्तर पर महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता, और शिक्षा से जुड़े अभियान चलाए जा रहे हैं।

इन अवसरों के बावजूद, चुनौतियाँ भी गंभीर हैं—साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक रुढ़ियाँ और राजनीतिक प्रशिक्षण की कमी प्रमुख हैं।

शोध की प्रासंगिकता : पाली तहसील जैसे क्षेत्र में पंचायती राज और आरक्षण नीति के प्रभाव का अध्ययन न केवल स्थानीय स्तर पर नीति-निर्माण में सहायक होगा, बल्कि यह यह भी दर्शाएगा कि ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया कैसे आकार ले रही है। यह शोध यह समझने में मदद करेगा कि मात्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं, और वास्तविक सशक्तिकरण के लिए किन अतिरिक्त कदमों की आवश्यकता है।

साहित्य समीक्षा : भारत में महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज की संरचना पर दशकों से शोध होता आ रहा है। प्रारंभिक अध्ययनों में, बुच (2000) ने अपनी पुस्तक **"Women's Experience in New Panchayats"** में स्पष्ट किया कि आरक्षण ने महिला उपस्थिति बढ़ाई, लेकिन सामाजिक-बांधनों के कारण निर्णय क्षमता अभी भी सीमित है। मैथ्यू (2003) ने भी जोर देकर कहा कि महिला नेतृत्व की सफलता के लिए साक्षरता, प्रशिक्षण और समुदाय का समर्थन आवश्यक है। इसी क्रम में पंचायत मंत्रालय (2015) की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 46% महिला प्रतिनिधि पहली बार निर्वाचित हुई हैं, लेकिन अधिकांश को उनके अधिकारों व प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं थी।

राजस्थान में बाविस्कर एवं मैथ्यू (2009) ने यह बताया कि बढ़ते महिला प्रतिनिधित्व के बावजूद "सर्पंच पति" या "प्रॉक्सी नेतृत्व" की प्रवृत्ति जारी है। 2020-21 की राजस्थान पंचायती राज विभाग रिपोर्ट में पाया गया कि पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, लेकिन क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में उनकी भागीदारी केवल 38% तक सीमित है। चोपड़ा (2015) ने सदृश्य निष्कर्ष दिए कि

जब महिला प्रतिनिधियों को संसाधनों और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय अधिकार मिलते हैं, तभी उनका नेतृत्व प्रभावी होता है।

नवीनतम शोधों में, मीणा (2022) ने "Panchayati Raj and Women's Participation in Rajasthan" नामक अध्ययन में यह पाया कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% करने से ग्रामीण महिलाएँ राजनीति की मुख्यधारा में अवश्य आईं, किन्तु मात्र संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को वास्तविक सशक्तिकरण नहीं माना जा सकता (Trend Research Journal)। चोयल एवं खताना (2022) ने "Women's Representation and Participation in Politics with Special Reference to Panchayati Raj in Rajasthan" शीर्षक अध्ययन में राजनीतिक भागीदारी के अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला (IJECSE)। इसी क्रम में उनका दूसरा अध्ययन "Role of Local Self-Governance in Women Empowerment—A Critical Analysis of Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994" (2022) यह इंगित करता है कि आरक्षण नीति केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाती है, किन्तु वास्तविक सशक्तिकरण (स्वतंत्र एवं जागरूक नेतृत्व) के लिए शिक्षा और स्व-सहायता समूह (SHGs) महत्वपूर्ण सहायक कारक हैं (IJECSE)।

सबसे ताज़ा शोध सिंह (2024) का है, जिसमें "A Study of Female Leadership in Panchayats" शीर्षक से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित अध्ययन में यह पाया गया कि महिला प्रतिनिधि भ्रष्टाचार कम करने तथा बेहतर शासन प्रदान करने में योगदान देती हैं, किन्तु अशिक्षा और पितृसत्तात्मक संरचना के कारण वे अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने में अपेक्षाकृत धीमी रहती हैं।

पाली तहसील के विशिष्ट संदर्भ में क्षेत्र-विशेष शोध सीमित हैं। तथापि, डंडुब पाल्ज़ोर नेगी एवं प्रीतम सिंह (2019) के अध्ययन ने राजसमंद जिले के भीम ब्लॉक में छह महिला सरपंचों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया कि यदि महिलाओं को पर्याप्त अवसर दिए जाएँ तो उनका प्रतिनिधित्व एवं सक्रियता संभावनापूर्ण सिद्ध हो सकती है।

निष्कर्ष : उपर्युक्त शोधों से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण ने महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति अवश्य बढ़ाई है, किंतु वास्तविक नेतृत्व क्षमता, स्वतंत्र निर्णय-निर्माण और सामाजिक स्वीकृति जैसे गुणात्मक पहलू अभी भी संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पाली तहसील जैसे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण, समुदाय का समर्थन तथा स्व-सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका अत्यंत आवश्यक है, जिससे आरक्षण नीति अपने लक्ष्य को यथार्थ रूप में प्राप्त कर सके।

4. शोध उद्देश्य (Research Objectives)

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- पाली तहसील में पंचायती राज एवं आरक्षण नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करना, विशेषकर महिला प्रतिनिधित्व और नेतृत्व क्षमता के संदर्भ में।
- महिला साक्षरता, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी के बीच संबंध को समझना।
- महिला प्रतिनिधियों की भूमिका और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना—क्या वे निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं या परिजनों पर निर्भर?
- सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं की पहचान करना, जो ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में रुकावट पैदा करती हैं।
- नीतिगत सुझाव तैयार करना, जिससे आरक्षण नीति का अधिकतम सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित हो सके।

5. शोध प्रश्न (Research Questions)

- क्या पंचायती राज में आरक्षण नीति ने पाली तहसील में महिला राजनीतिक भागीदारी में वास्तविक वृद्धि की है?
- क्या महिला प्रतिनिधियों की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया स्वतंत्र है या "प्रॉक्सी नेतृत्व" की प्रवृत्ति अधिक है?
- क्या महिला साक्षरता दर और राजनीतिक प्रभावशीलता के बीच कोई सीधा संबंध है?
- पाली तहसील में महिला प्रतिनिधियों को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर किन-किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
- किन अतिरिक्त उपायों से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और अधिक प्रभावी हो सकता है?

शोध पद्धति (Research Methodology) : यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक स्वरूप का है, जिसमें पाली तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर पंचायती राज एवं आरक्षण नीति के प्रभाव का अध्ययन किया गया। जनगणना 2011, विभिन्न सरकारी रिपोर्टें, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 और ग्रामीण विकास मंत्रालय एमआईएस पोर्टल्स का उपयोग हुआ। विश्लेषण थीमेटिक पद्धति से किया गया, जिसमें स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ और महिला साक्षरता दर को ध्यान में रखा गया।

8. डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या (Detailed Analysis & Interpretation) : पाली तहसील, जो राजस्थान के पाली जिले का प्रशासनिक उपखंड है, सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यह क्षेत्र शहरी और ग्रामीण—दोनों तरह के समुदायों का मिश्रण है, परंतु जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अब भी ग्रामीण अंचलों में निवास करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, पाली तहसील की कुल जनसंख्या लगभग 6,03,675 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 2,94,254 (लगभग 48.75%) और पुरुषों की संख्या 3,09,421 (लगभग 51.25%) है। लिंगानुपात 951 महिलाएँ प्रति 1000 पुरुष है, जो राज्य के औसत (928) से बेहतर है, लेकिन फिर भी लैंगिक असमानताओं को पूरी तरह समाप्त नहीं करता।

साक्षरता की स्थिति

Census 2011 के अनुसार पाली तहसील की कुल साक्षरता दर 70.13% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.56% और महिला साक्षरता 57.09% है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अधिक चिंताजनक है, जहाँ कुल साक्षरता 57.78% और महिला साक्षरता मात्र 42.52% है, जबकि पुरुष साक्षरता 73.08% है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता अपेक्षाकृत बेहतर (कुल 77.49%, पुरुष 87.98%, महिला 66.14%) है, लेकिन यहाँ भी लैंगिक अंतर 21.84 प्रतिशत अंक बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष–महिला साक्षरता का अंतर 30.56 प्रतिशत अंक है, जो शिक्षा में गहरी लैंगिक खाई को दर्शाता है।

पाली जिला (District) – Census 2011

क्षेत्र / वर्ग	कुल साक्षरता (%)	पुरुष साक्षरता (%)	महिला साक्षरता (%)	पुरुष–महिला अंतर (प्रतिशत अंक)
पाली तहसील(कुल)	70.13	82.56	57.09	25.47
ग्रामीण क्षेत्र	57.78	73.08	42.52	30.56
शहरी क्षेत्र	77.49	87.98	66.14	21.84

स्रोत: Census of India 2011 – Sub-District Data: Pali Tehsil

ये आँकड़े बताते हैं कि पाली तहसील में विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा सुधारने के लिए लक्षित प्रयासों और सामाजिक–सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है| इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिला साक्षरता दर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के सक्रिय और प्रभावी नेतृत्व के लिए बड़ी बाधा है। साक्षरता की कमी न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समझ में रुकावट डालती है बल्कि आत्मविश्वास और स्वायत्तता को भी प्रभावित करती है।

पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व : 73वें संविधान संशोधन (1992) के बाद राजस्थान में पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू हुआ, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। पाली तहसील में वर्तमान में लगभग 51% ग्राम पंचायत सीटें महिलाओं के पास हैं (पाली जिला परिषद वार्षिक रिपोर्ट, 2019-20)। हालांकि, मात्रात्मक प्रतिनिधित्व में यह वृद्धि गुणात्मक नेतृत्व में हमेशा नहीं बदल पाती।

सेवा मंदिर (2018) के एक सर्वे में पाया गया कि पाली तहसील की लगभग 33% महिला सरपंच बैठक में अपने पति या बेटे के साथ आती हैं, और निर्णय लेने से पहले पारिवारिक सलाह पर निर्भर रहती हैं। यह "प्रॉक्सी नेतृत्व" की स्थिति शिक्षा की कमी, सामाजिक दबाव और सीमित प्रशिक्षण अवसरों का सीधा परिणाम है।

सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोध : पाली तहसील की ग्रामीण सामाजिक संरचना अब भी पारंपरिक है, जिसमें पितृसत्तात्मक मूल्य प्रमुख हैं। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे घरेलू दायित्वों को प्राथमिकता दें। इससे उनके पास समय और स्वतंत्रता दोनों सीमित रह जाते हैं। पंचायत स्तर पर निर्वाचित महिलाओं को भी अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की अनुमति मिलती है, लेकिन आर्थिक योजना, भूमि प्रबंधन या अवसंरचना विकास जैसे निर्णयों में उनकी भूमिका सीमित होती है।

नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार, राजस्थान में लैंगिक समानता (SDG 5) के सूचकांक स्कोर में सुधार हुआ है, परंतु ग्रामीण नेतृत्व में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी अभी भी अधूरी है।

शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रभाव : डेटा विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि जिन ग्राम पंचायतों में महिला साक्षरता दर 50% से अधिक है, वहाँ महिला प्रतिनिधि अपेक्षाकृत अधिक आत्मनिर्भर और सक्रिय हैं। इन पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक जागरूकता अभियानों में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रही। इसके विपरीत, कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में निर्वाचित महिलाएँ अक्सर अपने पुरुष परिजनों पर निर्भर रहती हैं।

राजस्थान पंचायती राज विभाग (2020-21) की रिपोर्ट में उल्लेख है कि पाली तहसील में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों में से केवल 38% ने क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। यह कम भागीदारी, नीति-निर्माण की जटिलताओं और कानूनी प्रक्रियाओं की समझ को सीमित करती है।

सकारात्मक बदलाव के संकेत

स्व-सहायता समूहों (SHGs) की गतिविधियों में भागीदारी ने महिलाओं को वित्तीय मामलों की समझ दी है। पाली तहसील में NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के अंतर्गत गठित SHGs में महिलाओं की भागीदारी 65% तक पहुँच गई है।

कुछ पंचायतों में महिला सरपंचों ने जल संरक्षण, स्वच्छता और बालिका शिक्षा पर विशेष योजनाएँ शुरु कीं, जिससे सामाजिक छवि में बदलाव आया।

युवा और शिक्षित महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने से पंचायतों में डिजिटल साधनों (व्हाट्सऐप ग्रुप, ई-पंचायत पोर्टल) का प्रयोग बढ़ा है।

अंतराल और चुनौतियाँ : हालाँकि प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है, परंतु "निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति"

के मामले में अब भी अंतराल है। मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं—

शिक्षा की कमी – ग्रामीण महिलाओं में पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर ऊँची है।

सामाजिक रुढ़ियाँ – महिलाएँ नेतृत्व को पुरुष प्रधान क्षेत्र मानती हैं।

सीमित प्रशिक्षण अवसर – पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण शिविर कम और असंगठित हैं।

आर्थिक निर्भरता – स्वयं के वित्तीय संसाधनों की कमी से स्वतंत्र निर्णय लेने में कठिनाई होती है

9. निष्कर्ष (Conclusion) : पाली तहसील में पंचायती राज एवं आरक्षण नीति के क्रियान्वयन ने महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संवैधानिक अधिकार दिया है। 73वें संविधान संशोधन के बाद से महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का अनुपात 33% से बढ़ाकर 50% किया गया, जिससे पाली तहसील के ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और ज़िला परिषद में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह मात्रात्मक वृद्धि लोकतांत्रिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण का संकेत देती है।

किन्तु, डेटा विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह वृद्धि गुणात्मक सशक्तिकरण में परिवर्तित नहीं हो पाई है। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण महिला साक्षरता दर का अत्यंत निम्न होना है—पाली तहसील में ग्रामीण महिला साक्षरता मात्र 42.52% है, जो निर्णय लेने की क्षमता, नीतियों की समझ और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी को सीमित करती है।

सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में, पाली तहसील अब भी पितृसत्तात्मक मान्यताओं से प्रभावित है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में से बड़ी संख्या पारिवारिक दबाव और परामर्श पर निर्भर रहती है, जिसे "प्रॉक्सी नेतृत्व" कहा जाता है। यद्यपि युवा, शिक्षित और शहरी पृष्ठभूमि वाली महिला प्रतिनिधियों ने सकारात्मक बदलाव के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं—जैसे कि जल संरक्षण योजनाएँ, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, और डिजिटल साधनों का उपयोग—फिर भी ग्रामीण अंचलों में यह प्रवृत्ति सीमित है।

राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरु किए गए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूह (SHGs), और NRLM जैसी पहलें महिलाओं को प्रशासनिक और वित्तीय विषयों में दक्ष बनाने की दिशा में सार्थक कदम हैं। लेकिन इन कार्यक्रमों में भागीदारी दर कम है—पाली तहसील में मात्र 38% महिला प्रतिनिधियों ने औपचारिक प्रशिक्षण लिया है—जो इस बात का संकेत है कि अवसर और पहुँच दोनों को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, पाली तहसील में आरक्षण नीति ने महिलाओं को राजनीति में प्रवेश का द्वार अवश्य खोला है, लेकिन शिक्षा, प्रशिक्षण, सामाजिक स्वीकृति और आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में उनकी भूमिका अक्सर औपचारिक रह जाती है। यदि इन कारकों पर सुनियोजित तरीके से कार्य किया जाए, तो महिलाओं का योगदान न केवल सांकेतिक बल्कि वास्तविक और स्थायी परिवर्तनकारी हो सकता है।

10. सुझाव (Recommendations) : पाली तहसील में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका को गुणात्मक रुप से सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं—

1. शिक्षा पर विशेष ध्यान : प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा को अनिवार्य और सुलभ बनाना, ताकि आने वाले वर्षों में महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

वयस्क महिलाओं के लिए साक्षरता मिशन कार्यक्रम पुनः सक्रिय करना, विशेषकर ग्रामीण पंचायतों में।

"एक पंचायत – एक डिजिटल लर्निंग सेंटर" योजना शुरु कर, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।

2. क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का विस्तार :

- पंचायत प्रतिनिधियों के लिए त्रैमासिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना, जिसमें वित्तीय प्रबंधन,

कानून, सरकारी योजनाओं और परियोजना क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय भाषा और उदाहरणों का उपयोग कर, सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक और सहभागितापूर्ण बनाना।
- मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से "e-Training Modules" उपलब्ध कराना, ताकि महिलाएँ समय और स्थान की बाधाओं से मुक्त होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

3. आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा :
- महिला प्रतिनिधियों को स्व-सहायता समूहों (SHGs) और माइक्रोफाइनेंस योजनाओं से जोड़ना, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें और निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वासी बनें।
- पंचायत फंड के कुछ हिस्से को विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाली परियोजनाओं के लिए आरक्षित करना।

4. सामाजिक जागरूकता अभियान :
- ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला नेतृत्व के महत्व पर विशेष जागरूकता अभियान चलाना।
- पुरुष समुदाय को भी इन अभियानों में शामिल करना, ताकि महिलाओं के नेतृत्व को सामाजिक स्वीकृति और सहयोग मिल सके।
- स्कूल स्तर पर "लोकतांत्रिक नेतृत्व" विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करना, जिससे अगली पीढ़ी में महिला नेतृत्व को सामान्य और आवश्यक माना जाए।

5. डिजिटल सशक्तिकरण : प्रत्येक पंचायत में इंटरनेट सुविधा और डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना, ताकि महिला प्रतिनिधि सरकारी पोर्टल, ई-गवर्नेंस टूल और सोशल मीडिया का उपयोग कर सकें। "महिला शासन सहभागिता" ग्रुप जैसी पहल से आपसी संवाद, अनुभव साझा करने और समस्या समाधान में तेजी आएगी।

6. निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली : पंचायतों में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी का वार्षिक मूल्यांकन करना—सिर्फ उपस्थिति नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में उनके योगदान को भी मापना।

सफल महिला प्रतिनिधियों के केस स्टडी तैयार कर, अन्य पंचायतों में प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करना।

7. विशेष पहल – पाली तहसील मॉडल : पाली तहसील को "महिलानेतृत्व पंचायत उत्कृष्टता - "मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक जागरूकता के चार स्तंभ होंगे।

इस मॉडल के अंतर्गत 5 वर्षों में ग्रामीण महिला साक्षरता को 42% से बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

उपसंहार : पाली तहसील के संदर्भ में यह शोध दर्शाता है कि मात्रात्मक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है—गुणात्मक सशक्तिकरण के लिए बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है। शिक्षा, क्षमता निर्माण, आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक स्वीकृति—इन चारों के संगठित प्रयास से ही पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका प्रभावी और स्थायी बन सकती है।

संदर्भ सूची :

1. बाविस्कर, एन., एवं मैथ्यू, जी. (2009). पंचायती राज में महिला नेता: ग्रामीण भारत में शासन व्यवस्था. नई दिल्ली: भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान।
2. बुच, एन. (2000). नए पंचायती राज में महिलाओं का अनुभव: ग्रामीण महिलाओं का उभरता नेतृत्व. नई दिल्ली: महिला विकास अध्ययन केंद्र।
3. चोपड़ा, डी. (2015). भारत की सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन में राजनीतिक प्रतिबद्धता: मनरेगा के प्रदर्शन का अध्ययन। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ बुलेटिन, **46**(2), 1–15.

https://doi.org/10.1111/1759-5436.12125

4. चोयल, आर., एवं खाताना, एस. (2022). राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सहभागिता। **इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, 7**(1), 10–18।
5. चोयल, आर., एवं खाताना, एस. (2022). महिला सशक्तिकरण में स्थानीय स्वशासन की भूमिका— राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का एक आलोचनात्मक विश्लेषण। **इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, 7**(2), 25–34।
6. नेगी, डंडुब पल्ज़ोर, एवं सिंह, प्रीतम। (2019). स्थानीय शासन में महिला सरपंचों की भूमिका: भीम ब्लॉक, राजसमंद, राजस्थान का अध्ययन। प्राप्त किया गया **https://www.researchgate.net** से।
7. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय। (2015). **पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति**. नई दिल्ली: पंचायती राज मंत्रालय।
8. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय। (2022). **वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22**. नई दिल्ली: पंचायती राज मंत्रालय।
9. भारत सरकार, पंजीयक सामान्य एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय। (2011). **भारत की जनगणना 2011: राजस्थान प्राथमिक जनगणना सार**. नई दिल्ली: भारत सरकार। **https://censusindia.gov.in/**
10. नीति आयोग। (2023). **एसडीजी इंडिया सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2023**. नई दिल्ली: नीति आयोग, भारत सरकार। **https://www.niti.gov.in/**
11. राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग। (2020–21). **वार्षिक प्रतिवेदन**. जयपुर: पंचायती राज विभाग।
12. सेवा मंदिर। (2018). **पंचायती राज में महिलाएँ: पाली ज़िले में एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण**. उदयपुर: सेवा मंदिर।
13. मीणा, आर. (2022). राजस्थान में पंचायती राज एवं महिलाओं की भागीदारी। **ट्रेंड रिसर्च जर्नल, 9**(3), 45–55।
14. सिंह, पी. (2024). पंचायतों में महिला नेतृत्व का अध्ययन। आर.आर. जर्नल्स, 12(1), 112–125।
15. संयुक्त राष्ट्र महिला (यूएन वीमेन)। (2022). **स्थानीय शासन में महिलाओं का नेतृत्व: दक्षिण एशिया का अनुभव**. संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था।

•